

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर

क्रमांक: ई-12/जो.कोटा/सेवानिवृत्ति/2025/17

दिनांक:- 11/3/2025

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-12/जो.कोटा/सेवानिवृत्ति/2025/03 दिनांक 16.01.2025 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री प्रेमचन्द मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी के स्थान पर श्री प्रेमचन्द मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिण्डौली पढा जावें। आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

क्रमांक: ई-12/जो.कोटा/सेवानिवृत्ति/2025/17

दिनांक:- 11/3/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन- कोटा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को भिजवाकर लेख है कि भविष्य में कार्मिकों द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त प्रकरण निदेशालय को 1 वर्ष पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिण्डौली जिला बून्दी।
5. प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी/टी.सी (अराजपत्रित), अनुभाग।
6. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमांक: ई-12/जो.कोटा/सेवानिवृत्ति/2025/17

दिनांक:-

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन- कोटा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को भिजवाकर लेख है कि भविष्य में कार्मिकों द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त प्रकरण निदेशालय को 1 वर्ष पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिण्डौली जिला बून्दी।
5. प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी/टी.सी (अराजपत्रित), अनुभाग।
6. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :10-03-2025 07:34:05